भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 4817
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 2020/3 चैत्र 1941 (शक) को दिया जाना है)

अधिकरण के नियम

4817. प्रो° अच्युतानंद सामंतः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकारी (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 में उच्चतम न्यायालय के 2019 में दिए गए आदेश के अनुरूप हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार, उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों को चार सदस्यीय चयन समिति का हिस्सा बनाने के लिए उक्त नियमों में संशोधन करेगी, जो अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका के लिए एक समान अधिकार सुनिश्चित करेगी तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार सदस्यों के कार्यकाल को 5 वर्ष तक बढ़ाएगी ताकि सदस्य मामलों के न्यायनिर्णयन में परिष्कृत ज्ञान, विशेषज्ञता और दक्षता प्राप्त कर सकें तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) जी हां, श्रीमान। अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकारी (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 को सिविल अपील सं. 8588/2019, रोजर मैथ्यू बनाम साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड शीर्षक में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.11.2019 के निर्णय के संदर्भ में अधिसूचित किया गया है।

उक्त नियमों के द्वारा अधिकरणों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति तथा इन्हें हटाने की पद्धति, कार्यकाल, सेवानिवृत्ति की आयु आदि में संशोधन किया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। नए अधिकरण नियमों में पहले से ही अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका के समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है।

(ग) नए अधिसूचित अधिकरण नियमों के द्वारा अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चार वर्ष के एकसमान कार्यकाल को पहले ही अधिसूचित किया गया है।

*****